

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी किए

25.11.2021

प्रार्थी नेतराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी लिखमेवाला जरिए इन्द्राज पुत्र हजारीराम प्रार्थना 136 एलआरए का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम 37 एनपी ए जमाबंदी संवत 2075-2078 खाता सं. 90 में प.नं. 214/313 मु.नं. 21 की 1 ता 5/1.140 है. नहरी, 6 ता 25/5.060 है. नहरी नेतराम पुत्र नारायणराम जाति जाट साठ लिखमेवाला गैर खातेदार के स्थान पर मु.नं. 21 की 1 ता 5/1.140 है. नहरी, 6 ता 25/5.060 है. बारानी नेतराम पुत्र नारायण राम जाति जाट निवासी लिखमेवाला गैर खातेदार की दुरुस्ती करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2021 को प्रस्तुत करने पर भू.अ.नि. रायसिंहनगर से जांच रिपोर्ट ली गयी। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा पटवारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर उक्त भूमि कि.नं. 6 ता 25 की 5.060 है. भूमि के नहरी के स्थान पर बारानी दर्ज करने की शुद्धि किया जाना उचित अंकित किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सेल रजिस्टर की प्रति एवं अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर के कार्यालय द्वारा जारी सीसीए रिपोर्ट क्रमांक 9898 दिनांक 12.02.2021 एवं 4356 दिनांक 25.11.2021 की प्रति पेश की हैं। जिस अनुसार चक 37 एनपी ए प.नं. 214/313 का 04-10 बीघा भूमि दिनांक 04/1994 से कमाण्ड हैं। सेल रजिस्टर की प्रति अवलोकन किया। जिस अनुसार प्रार्थी द्वारा 4-10 बिस्वा भूमि की अन्तर राशि जमा करवाई गयी हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में समस्त भूमि नहरी दर्ज हैं। जिसकी दुरुस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा आवेदन किया गया हैं। पटवारी हल्का एवं भू.अ.नि. रायसिंहनगर द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी चक 37 एनपीए जमाबंदी संवत 2075-2078 खाता सं. 90 की मु.नं. 21 के कि.नं. 1 ता 5 की 1.140 है. नहरी 6 ता 25 की 5.060 है. नहरी के स्थान पर मु.नं. 21 कि.नं. 1 ता 5 की 1.140 है. नहरी, 6 ता 25 की 5.060 है. बारानी की शुद्धि किया जाना उचित अंकित किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तथा चक 37 एनपीए जमाबंदी संवत 2075-2078 खाता सं. 90 की भूमि प.नं. 214/313 मु.नं. 21 कि.नं. 1 ता 5 की 1.140 है. नहरी, 6 ता 25 की 5.060 है. नहरी के स्थान पर प.नं. 214/313 मु.नं. 21 कि.नं. 1 ता 5 की 1.140 है. नहरी, 6 ता 25 की 5.060 है. बारानी की दुरुस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं।

आदेश सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

—  
उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

